उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–63 / 2023

राममोहन साव बनाम् राज्य एवं जमुना मण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25/02/25	इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में जमुना मुण्डा पिता–स्व० टेहवा मुण्डा द्वारा समर्पित भू–वापसी आवेदन के आलोक में दायर भू–वापसी वाद संख्या–10 / 2011–12 / 34 / 2015–16 जमुना मुण्डा बनाम राम मोहन साव वो० में दिनांक–20.03. 2023 को पारित आदेश के विरूद्ध C.N.T. Act की धारा–215 के तहत अपीलार्थी राममोहन साव, पिता–जागेश्वर साव, निवास ग्राम–सौन्दा बस्ती द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–जयनगर थाना–पतरातू के खाता संख्या–08 प्लॉट संख्या–400 कुल रकवा–0.52 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील का आवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–10 / 2011–12 / 34 / 2015–16 जमुना मुण्डा बनाम् राम मोहन साव में दिनांक–20.03.2023 को पारित भू–वापसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि मौजा–जयनगर, थाना–पतरातू, थाना नं०–25, जिला–रामगढ़ के खाता नं०–08, प्लॉट नं०–400, रकवा–0.52 एकड़ भूमि से संबंधित है। उत्तरवादी का कहना है कि मौजा–जयनगर के खाता नं०–08, प्लॉट नं०–400, रकवा–0.52 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में चमरा मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है जो आदिवासी खाता की जमीन है। द्वितीय पक्ष उक्त जमीन से प्रथम पक्ष को 05–06 वर्षों से अवैध कब्जा कर बेदखल कर दिये है जिन्हें प्रश्नगत भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अंतर्गत वापस दिलाया जाय। विषयगत वाद में विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में दायर भू–वापसी आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, पतरातू को भेजा गया। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित है कि मौजा–जयनगर, थाना–पतरातू, थाना नं०–25, जिला–रामगढ़ के खाता नं०–08, प्लॉट नं०–400, रकवा–	

0.52 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष को केवाला संख्या–2968 दिनांक–19.03.1968 ई० में इंदिरा मुण्डा, पिता–कोइला मुण्डा, टेहवा मुण्डा वो फुचवा मुण्डा पिता–सोहराय मुण्डा ने 2,000/– रूपये लेकर जागेश्वर साव, पिता–हैदर साव के पक्ष में लिख दिया था। पुनः जागेश्वर साव ने केवाला संख्या–1131 दिनांक–26.03.1992 को श्रीमति प्रमिला देवी पति–राममोहन साव को बेच दिया था। तब से द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर जोत कोड आबाद व कब्जे में है। अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवदित किया गया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष 42 वर्षों से दखल कब्जा में है। द्वितीय पक्ष के राजमोहन साव प्रश्नगत भूमि को कबुलियत एवं केवाला से प्राप्त करने के पश्चात खास दखल कब्जा में आया और लगातार खेतीबारी जोत आबाद व कब्जा में है। प्रश्नगत जमीन पर द्वितीय पक्ष के राजमोहन साव अपने जीवन काल में शांतिपूर्ण दखलकार होकर खेती कर उसे उपज फसल का उपयोग किए तथा दखलकार चले आ रहे है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (4) (ए) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि कोई भी आदिवासी रैयत को गैर आदिवासी द्वारा अवैध तरीका से बेदखल किया जाता है तो आदिवासी रैयत बेदखली की 12 वर्षों के अंदर भूमि वापसी हेतू संबंधित उपायुक्त को आवेदन देकर भूमि वापस प्राप्त कर सकते है, किन्तु इस वाद में विपक्षी के 42 वर्षो के बाद भू–वापसी हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में आवेदन दिये है जो काल बाधित होने के आधार पर खारिज करने योग्य है। प्रश्नगत प्लॉट की जमीन द्वितीय पक्ष के राममोहन साव निबंधित कबुलियत तथा केवाला के आधार पर हासिल किए है जिसे कुल रकवा–0.52 एकड़ भूमि है। किन्तु पैसे के लालच में विपक्षी के आदिवासी होने के नाते परेशान करने के नियत से अपीलार्थी के उपर भू–वापसी वाद दायर किए है जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी द्वारा सभी तथ्यों को निम्न न्यायालय के समक्ष रखा गया था परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, साक्षियों एवं कागजातों पर बिचार किए बिना दिनांक–20.03.2023 को भू–वापसी आदेश पारित करते हुए 30 दिन के अंदर दखल का आदेश दिए जो सरासर विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी ग्राम–जयनगर, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ का स्थायी दखलकार रैयत है तथा उक्त गांव के खाता संख्या–08 के अंतर्गत उसकी खतियानी भूमि है। अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान अपील कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह आदिवासी खाता भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है। अपीलार्थी जाली और मनगढ़ंत बाजीदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि हासिल होने का दावा करते है। ग्राम–जयनगर के खाता संख्या–08 की भूमि पिछले भू–सर्वेक्षण और बंदोबस्त के दौरान चमरा मुंडा पुत्र मगरा मुंडा के नाम पर दर्ज की गई थी। प्रतिवादी के पूर्वज ने राज्य को लगान दिया और वर्ष 1959–60 तक लगान रसीद प्राप्त की, जिसका उल्लेख पतरातू अंचल में रजिस्टर–II में है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रस्तुत

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील में शामिल भूमि प्रतिवादी की खतियानी भूमि है, जो आदिवासी खाता के दायरे में आती है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक–20.03.2023 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों कागजातों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील के आवेदन को खारिज करते हुए भू–वापसी वाद संख्या–10/2011–12/34/2015–16 को निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पतरातू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–जयनगर थाना संख्या–25 के खाता संख्या–08 प्लॉट संख्या–400 कुल रकवा–0.52 ए० भूमि सर्वे खतियान में चमरा मुण्डा वल्द मंगरा मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। उक्त खाता संख्या–08 के अन्तर्गत किसी भी पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। भूमि पर बेदखली की अवधि 42 वर्ष पूर्व से है। द्वितीय पक्ष भूमि पर बाजीदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बाजीदावा के आधार पर आदिवासी खाता की जमीन का हस्तांतरण विधि संगत प्रतीत नहीं मानते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विषयगत वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सही अवसर प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है जो विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जयनगर थाना–पतरातू के खाता संख्या–08 प्लॉट संख्या–400 कुल रकवा–0.52 ए० भूमि आदिवास खाते की भूमि है। विचाराधीन भूमि की भू–वापसी हेतु अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय मे भू–वापसी वाद संख्या–10/2011–12/34/2015–16 जमुना मुण्डा बनाम राम मोहन साव वो० दायर की गई थी। अपीलार्थी के द्वारा केवाला/बाजीदावा के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान दावा किया गया है कि आदिवासी रैयत के बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक का है। परन्तु प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 42 वर्षो से दखलकार होने का ठोस प्रमाण समर्पित नहीं किया गया। साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अपने नाम से कायम होने व भूमि का हस्तांतरण C.N.T Act की धारा–46 4(A) का प्रावधानों के तहत किया गया, इसका कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। ~~प्रार्थी~~ प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 25/02/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 25/02/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.03.24 17:02:52 +05:30
Location: 192.168.187.197